POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 04.11.2023

1.थाना सूरजपुर क्षेत्र अन्तर्गत आलोक सिंह की निर्मम हत्या करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं घटना में प्रयुक्त ट्रैलर(वाहन) रजि0न0 PB 10 HD 1859 तथा आलाकत्ल टायर लीवर लोहे का बरामद।

घटना क्रम का विवरण-- थाना सूरजपुर क्षेत्र से आलोक सिंह उपरोक्त के गुम हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30.10.2023 को थाना हाजा पर गुमशुदगी दर्ज की गयी थी। दिनांक 01.11.2023 को मृतक आलोक सिंह का शव मिग्सन ग्रीन सोसाइटी के पास ग्रीन बेल्ट से बरामद हुआ था। जिसके पंचायतनामा की कार्यवाही थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा की गयी थी। दिनांक 02.11.2023 को गुमशुदा आलोक सिंह के भाई द्वारा एक लिखित तहरीर देकर थाना हाजा पर मु0अ0स0 597/2023 धारा 302/201/120बी भादवि में पंजीकृत कराया गया था। दिनांक **04.11.2023** को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण सर्वेश पुत्र राधेश्याम व रिंकू उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रपाल यादव को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा पैरामाउण्ट अंडर पास से **गिरफ्तार** किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण--

मृतक आलोक सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कोटकमऊ थाना मल्लावा जिला हरदोई हालपता अनुरूद्ध का मकान पक्षी विहार इण्डियन गैंस गोदाम के पास ग्राम देवला थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 38 वर्ष तथा अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र राधेश्याम निवासी धनसिंहपुरवा थाना मल्लावां जिला हरदोई उम्र करीब 40 वर्ष, दोनो मूल गांव के आपस में पडोसी है। तथा अभियुक्त रिंकू उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रपाल यादव निवासी नैला कटरा थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात उम्र करीब 28 वर्ष सर्वेश की बुआ का लडका है। मृतक आलोक सिंह की पत्नी के साथ सर्वेश के अवैध सम्बन्ध थे तथा पिछले 3-4 महीने से आलोक की पत्नी की नजदीकी रवि पुत्र देवीशरन नि0 पहाडपुर थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के साथ हो गयी थी। उपरोक्त महिला सर्वेश से किनारा करने लगी। जिसको लेकर मृतक आलोक सिंह तथा रवि ने मिलकर सर्वेश के साथ पूर्व में मारपीट की थी। जिससे सर्वेश की मोहल्ले में बेइज्जती हो गयी थी। सर्वेश अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था तथा मौके की तलाश में था। दिनांक 29.10.2023 को सर्वेश अपने साथी/रिश्तेदार रिंकू उर्फ भूपेन्द्र सिंह के साथ मिलकर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रवि को तलाश कर रहा था। जब रवि नही मिला तो सर्वेश व रिंकू उर्फ भूपेन्द्र सिंह ने आलोक सिंह से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कम्पनी सनप्लास्ट साईट बी औद्योगिक क्षेत्र पहुंचकर आलोक सिंह का इंतजार करने लगे। जब आलोक सिंह कम्पनी से बाहर निकला तो सर्वेश व रिंकू उर्फ भूपेन्द्र सिंह उसे अपने साथ ट्रैलर रजि0न0 पीबी 10 एचडी 1859 के कैबिन में बुलाकर ले गये था तथा सर्वेश व रिंकू उर्फ भूपेन्द्र सिंह ने मिलकर आलोक सिंह के साथ मारपीट की और लोहे के टायर लीवर से आलोक के सिर वार किया और फिर गला दबा कर हत्या कर दी, शव को छिपाने तथा रवि को फंसाने के उद्देश्य से मृतक आलोक के शव को मिग्सन ग्रीन सोसाइटी की ग्रीन बेल्ट ग्रेटर नोएडा में फेक दिया ताकि हत्या का शक रवि पर जाये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण---

1. सर्वेश यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी धनसिंहपुरवा थाना मल्लावां जिला हरदोई उम्र करीब 40 वर्ष
2. रिंकू उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रपाल यादव निवासी नैला कटरा थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात उम्र करीब 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

मु0अ0स0 597/2023 धारा 302/201/34 भादवि थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त ट्रैलर(वाहन) रजि0न0 PB 10 HD 1859